न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 137/07 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. कौशल्या बेवाह गीलाराम अहीर
2. सुभाष उर्फ पप्पू पत्र स्व0 गीलाराम अहीर
   निवासीयान भीटेडा तहसील बहरोड जिला अलवर
3. मनोज पुत्री गीलाराम पत्नि राकेश यादव निवासी ग्राम
   जमालपुर तहसील व जिला रिवाडी हरियाणा
4. सुभान्ता पुत्री गीलाराम पत्नि हजारी जाति अहीर
   निवासी मोहनपुर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

:---- अपीलांट असल प्रतिवादी

बनाम

1. सत्यवीर पुत्र हरनारायण अहीर
2. महेन्द्र पुत्र हरनारायण अहीर
3. सरजीत पुत्र हरनारायण अहीर
   निवासीयान भीटेडा तह0 बहरोड जिला अलवर

:----- असल रेस्पो0 वादीगण

4. जसवन्त पुत्र सावंत अहीर
5. रणजीत पुत्र सावंत अहीर निवासीयान ग्राम भीटेडा तहसील
   बहरोड जिला अलवर राज0

:--- तरतीबी प्रतिवादी रेस्पो0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड
दिनांक 30.12.2006

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामनिवास सैनी

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 02.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/99 बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 12 बिस्वा, 38 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम भीटेडा तहसील बहरोड में 1/2 भाग दिनांक 23.1.90 को खातेदार गीला से जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की थी और कब्जा प्राप्त किया था । गीला फौत हो चुका है । परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज न करके गीला के वारिसान का नाम दर्ज कर दिया । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा डिक्री किया है, जिसकी प्रतिवादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया । तनकियात कायम नहीं की । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलांट की जवाबदेही गलत तौर पर बंद की गई थी । अपीलांट के पिता/पति ने कभी भी विवादित आराजी का विक्रय नहीं किया । वादी को अगर बयनामा कराया गया है तो उसे सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 विद्वान वकील असल रेस्पो0 वादी का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है । अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि हमारी खरीदशुदा आराजी है । वक्त खरीद से ही हमारा कब्जा चला आ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

रहा है । किन्तु किसी कारणवश बयनामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में हमारा नाम दर्ज नहीं हो पाया था । विक्रेता गीला का देहान्त हो चुका है और अपीलांटस प्रतिवादीगण ने गलत तौर पर विरासत दर्ज करा लीं । हमने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को साबित कराया है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांटस का पुनः कहना है कि अपीलांट मनोज एवं सुमांता अपने अपने ससुराल निवास करती है तथा अपीलांट कौशल्या वृद्ध महिला है । अपीलांट सुभाष उर्फ पप्पू ही पेशी पर आता था, जो भी रोजगार के सिलसिले में बाहर चला गया । वकील साहब ने निर्णय की जानकारी समय पर नहीं दी । इसलिये अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई । जानकारी की तिथी से मियाद की गणना की जाती है । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभीयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्को पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को क्षमा किया जाता है ।

7 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2052-55 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 12 बिस्वा तथा 38 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम भीटेडा तहसील बहरोड पर गीला पुत्र जहार को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज किया हुआ है । उक्त गीला से वादीगण असल रेस्पो0 ने जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 23.1.1990 को विवादित भूमि क्रय की है और कब्जा प्राप्त किया है । इस प्रकार वादीगण सदभावी क्रेता है और उसे क्रय की गई भूमि पर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम का अंकन कराने का पूर्ण अधिकार है । जहां तक अपीलांट प्रतिवादीगण की इस आपत्ति का प्रश्न है कि तहत अदालत ने तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, इस सम्बन्ध में अदालत हाजा का विनम्र मत है कि जब प्रतिवादीगण अपीलांटस ने जवाब दावा ही प्रस्तुत नहीं किया है तो विवाधक बिन्दू विरचित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

होता है । इसके अतिरिक्त जहां तक प्रतिवादीगण अपीलांटस के इस कथन का प्रश्न है कि उन्हें जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तो इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया तो पाया कि प्रतिवादीगण अपीलांटस को दिनांक 15.3.2004 से ही जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता रहा है, परन्तु उन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया । इसलिये अपीलांट का यह कथन भी खारिज किया जाता है तो उनको जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2006 यथावत रखे जाते हैं ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी ,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 137/07 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. कौशल्या बेवाह गीलाराम अहीर
2. सुभाष उर्फ पप्पू पत्र स्व0 गीलाराम अहीर

   निवासीयान भीटेडा तहसील बहरोड जिला अलवर
3. मनोज पुत्री गीलाराम पत्नि राकेश यादव निवासी ग्राम

   जमालपुर तहसील व जिला रिवाडी हरियाणा

4 सुभान्ता पुत्री गीलाराम पत्नि हजारी जाति अहीर

निवासी मोहनपुर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

:–––– अपीलांट असल प्रतिवादी

बनाम

1 सत्यवीर पुत्र हरनारायण अहीर

2 महेन्द्र पुत्र हरनारायण अहीर

3 सरजीत पुत्र हरनारायण अहीर

निवासीयान भीटेडा तह0 बहरोड जिला अलवर

:–––– असल रेस्पो0 वादीगण

4 जसवन्त पुत्र सावंत अहीर

5 रणजीत पुत्र सावंत अहीर निवासीयान ग्राम भीटेडा तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

:––– तरतीबी प्रतिवादी रेस्पो0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी, बहरोड
दिनांक 30.12.2006

उपस्थित	:–	1.	वकील अपीलांट	:–	श्री रामनिवास सैनी
		2.	वकील असल रेस्पो0	:–	श्री रामेश्वर दयाल

पर्चा डिकी —— दिनांक 02.03.2021

अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.12.2006 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर